

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा पुलिस की फर्जी मोहर बनाकर पुलिस वैरिफिकेशन (सत्यापन) करने के नाम पर अवैध धन अर्जित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से पुलिस की फर्जी मोहर व कुटरचित पुलिस वैरिफिकेशन प्रारूप ,अन्य प्रपत्र व अवैध रूप से अर्जित किये गये 5800/- रुपये बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना थाना नन्दग्राम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त नमन शुक्ला पुत्र सुनील शुक्ला निवासी बी- 320 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र- 21 वर्ष को मय पुलिस की फर्जी मोहर व कुचरचित पुलिस वैरिफिकेशन प्रारूप व अन्य प्रपत्र व अवैध रूप से अर्जित किये गये 5800/- रुपये के साथ राजनगर रेजीडेन्सी के पास यू-टर्न के पास से किया गिरफ्तार। पूछताछ मे अभि0 नमन शुक्ला ने बताया कि मैं स्टाम्प विक्रेता का कार्य करता हू जिसके संबंध मे मैंने एक दुकान बांके बिहारी मार्केट के पीछे किराये पर ली है जहा पर सोसायटी मे फ्लैट /दुकान किराये पर दिलवाने का काम करने वाले प्रदीप, रमाकान्त व इनके अन्य साथी जिनका नाम मैं नहीं जानता हू के साथ मिलकर किराये पर फ्लैट व दुकान लेने वाले व सोसायटी मे काम करने वाले भोले भाले व कम पढे लिखे लोगो को बहला फुसलाकर पुलिस वैरीफिकेशन करने के नाम पर उनसे धन उगाही करते है प्रदीप व रमाकान्त व उनके अन्य साथी मेरे पास किरायेदार व सिक्योरिटी गार्ड व सोसायटी मे काम करने वाली मेड आदि को एग्रीमेन्ट व पुलिस वैरीफिकेशन कराने के लिए लोगो बहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आते है जिसमे वे लोग एक व्यक्ति मेरे पास लाने का 100 रुपये कमीशन प्राप्त करते है जिनसे मैं रेंट एग्रीमेन्ट के लिए एक हजार रुपये तथा सोसायटी मे गार्ड, पेपर वाला, प्रेस वाला, व घरो मेकाम करने वाली मेड का पुलिस वैरीफिकेशन करने के दो से तीन सौ रुपये तथा किरायेदार का पुलिस वैरीफिकेशन करने के लिए पांच सौ रुपये लेकर पुलिस चौकी मोरटा थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद की मोहर लगाकर लोगो से धन की उगाही करता हू। इस काम के लिए मैंने फर्जी पुलिस सत्यापन प्रारूप व अन्य कागजात व पुलिस की फर्जी मोहर बना रखी है।

बरामदगी का विवरण:- 04 अदद रेंट एग्रीमेन्ट व कूटरचित किरायेदार प्रपत्र व एक अदद पुलिस चौकी मोरटा थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद की मोहर, व 11 अदद किरायेदारो की सूचना का प्रारूप व 11 अदद स्टाम्प पेपर व पुलिस वैरीफिकेशन के नाम पर अवैध रूप से कमाये हुए 5800 रुपये।



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

नमन शुक्ला पुत्र सुनील शुक्ला निवासी बी- 320 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र- 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 541/22 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना नन्दग्राम
2. उ0नि0 सचिन कुमार तोमर
3. है0का0 976 देवेन्द्र पवार

4. है0का0 734 अमित कुमार
5. का0 3826 सचिन कुमार,
6. रि0का0 580 लवकुश कुमार

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 6-6-22 को थाना क्षेत्र मे 01 शातिर अभियुक्त को मय 34 पव्वे देशी शराब नाजायज हरियाणा मार्का के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना थाना नन्दग्राम पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गुलाबराय पुत्र शिवनारायण निवासी नई वस्ती ग्राम खल्ला थाना मूर्तिहा जिला बहराइच उम्र करीब 23 वर्ष को आश्रम कट से रोटरी गोलचक्कर जाने वाली सडक पर ही करीब 25 कदम की दूरी पर से मय 34 पव्वे देशी शराब नाजायज हरियाणा मार्का के साथ किया गिरफ्तार।

बरामदगी का विवरण:-

34 पव्वे देशी शराब मसालेदार हरियाणा मार्का नाजायज।



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

गुलाबराय पुत्र शिवनारायण निवासी नई वस्ती ग्राम खल्ला थाना मूर्तिहा जिला बहराइच उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 539/22 धारा 60/63आब0 अधि0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना नन्दग्राम
2. उ0नि0 श्री भीकचंद
3. का0 540 विपिन शर्मा
4. का0 64 अनिल कुमार

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 6-6-22 को थाना क्षेत्र मे 01 शातिर अभियुक्त को मय 01 किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना थाना नन्दग्राम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त बलराज उर्फ काहरी पुत्र प्रेमशंकर महतो नि० म०नं० A- 20, 30 फुटा रोड दीनदयालपुरी गली नं० 04 थाना नन्दग्राम गा०बाद उम्र 21 वर्ष को शनि मंदिर से नई बस्ती की तरफ खाली खेत के पास से किया गिरफ्तार।

बरामदगी का विवरण:-

अभि० के कब्जे से 01 किला 100 ग्राम नाजायज गांजा



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

बलराज उर्फ काहरी पुत्र प्रेमशंकर महतो नि० म०नं० A- 20, 30 फुटा रोड दीनदयालपुरी गली नं० 04 थाना नन्दग्राम गा०बाद उम्र 21 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 540/2022 धारा 8/20 ndps अधिनियम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु०अ०सं० 94/21 धारा 4/25 a.act थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु०अ०सं० 516/21 धारा 60 आब अधि० थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु०अ०सं० 035/22 धारा 60 आब अधि० थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री अमित कुमार थाना नन्दग्राम
2. उ०नि० श्री अनिल कुमार
3. है०का० 1272 विजय कुमार
4. का० 326 अजय चौहान

5. थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार व चोरी की 01 अदद

मोटरसाईकिल बरामद

6. !! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अभय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा के कुशल नेतृत्व में अन्तर्राज्यीय /एनसीआर क्षेत्र में वाहनो की चोरी करने वाले अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 01 शातिर वाहन चोर को दिनांक 07.06.22 समय 01.30 बजे रात्रि घटना स्थल दुर्गा बारात घर के पास वीर चन्द्र गढवाली गेट खोडा कालोनी चौकी क्षेत्र बीरबल से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटोसाईकिल बरामद की गयी ।

7. गिर0 अभियुक्त का नाम पता

8. अभि0 कासिम पुत्र मौ0 अलाउद्दीन खां नि0 सी 62/12 टिबीया कालेज के पास करोल बाग थाना करोल बाग दिल्ली उम्र 21 वर्ष ।

9. बरामदगी का विवरण –

10. 1- मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर DL13SX5558, इंजन न0 HA10AGJHKG6410 चैसिस न0 MBLHAR074JHK78212 सम्बन्धित एफआईआर न0 013731 धारा 379 भादवि थाना ई-थैप्ट दिल्ली दिनांक 19/5/2022 मालिक का नाम विकास काठवाल नि0 A 8/11 UGF 4 DLF अंकुर विहार लोनी गा0बाद

11. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

12. अभियुक्त कासिम पुत्र मौ0 अलाउद्दीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	264/2022	411,414 भादवि0	खोडा	गाजियाबाद
2	ई-एफआईआर 013731/22	379 भादवि	ई-थैप्ट	क्राईम ब्राँच दिल्ली
3				
4				
5				

13. गिरफ्तारी करने वाली टीम

14. प्र0नि0 बृजेश कुमार कुशवाहा थाना खोडा

15. उ0नि0 कुलवन्त सिंह थाना खोडा

16. है0का0 1423 गणेश अवस्थी थाना खोडा

17. है0का0 1258 गजेन्द्र सिंह थाना खोडा

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा .315 बोर व 01

जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 07.06.22



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की घटना में वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ भूरे पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम दौसा बंजारपुर भोजपुर गाजियाबाद को अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ वैदिक स्कूल के पास ग्राम दौसा बंजारपुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

कुलदीप उर्फ भूरे पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0 203/22 धारा 393,307,504, थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0सं0 205/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर, गा0बाद,

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
2. उ0नि0 मंयक सिंह, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
3. कां0 3872 विकासचन्द्र थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा

कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 07.06.22



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अतिउल्ला पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर

गाजियाबाद को अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ आयशा मस्जिद कलछीना के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अतिउल्ला पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद।

अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0स0 206/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर, गा0बाद,

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 शीलेन्द्र सिंह, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
2. उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
3. उ0नि0 मंयक सिंह, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
- 4.कां0 3872 विकासचन्द्र थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा

कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 07.06.22



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रवेश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सुखनगढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ कलछीना अन्डर पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रवेश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सुखनगढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद।

अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0स0 203/22 धारा 393,307,504, 120 बी भादवि थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 207/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर, गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 शीलेन्द्र सिंह, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
2. उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह, थाना भोजपुर गाजियाबाद,

3. उ०नि० मंयक सिंह, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

4. कां० 3872 विकासचन्द्र थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सम्बन्धित मु०अ०सं० 138/2022 धारा 5/25/30
आर्म्स एक्ट व धारा 35 सहपठित 25 आर्म्स एक्ट व 120 बी भादवि के अन्तर्गत मैसर्स
तरनजीत गन हाउस नियमानुसार सील किया गया

दिनांक 07.05.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में वाँछित अभियुक्त/अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की टीम द्वारा दिनांक 24-05-2022 को मु०अ०सं०- 138/2022 में प्रकाश में आये अभियुक्त तरनजीत पुत्र सरवजीत निवासी- बी-67 गगन इनकलेव जीटी रोड थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद को तरनजीत गन हाउस जीटी रोड नियर राकेश मार्ग थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त के मैसर्स तरनजीत गन हाउस जी टी रोड थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस को नियमानुसार निरस्त किये जाने तथा गन को सील किये जाने की रिपोर्ट श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 31.05.2022 के द्वारा मैसर्स तरनजीत गन हाउस को सील करने के आदेश पारित किये गये जिसके अनुपालन में आज दिनांक 07.06.2022 को श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय गाजियाबाद के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर गा०बाद एवं उपस्थित पुलिस बल व जनता के लोगों के समक्ष मैसर्स तरनजीत गन हाउस नियमानुसार सील किया गया।

